कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

नवीन जिला न्यायालय भवन परिसर, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालन करने हेतु निविदा प्रलेख

नवीन न्यायालय भवन परिसर भोपाल मे मई 2016 से एक वर्ष की कालावधि के लिये वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25/11/2016.2016 निर्धारित की गई है । वाहन स्टैण्ड संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

विवरण एवं शर्ते

01– वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित रू. 1,00,000/–(एक लाख रूपये) की एफ. डी. आर. जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

02– वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रु. 29,000/– प्रतिमाह होगी।

03– निविदा फार्म के साथ रुपए 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी हेतु जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने के दशा में वापसी योग्य होगी एवं स्वीकृति की दशा में समायोजन योग्य होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

04– निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तो के अनुसार अनुबंध–पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेंडर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।

05– वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिए दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

06– विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

07– वाहन स्टैण्ड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराना आवश्यक होगा।

08– मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

09– वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो।

10– वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस समय में एवं समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

11– वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे।

12– वाहन स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।

13– वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

– वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

15– साइकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा

01–	सायकिल	–	रू. 1/– प्रतिदिन
02–	दो पहिया वाहन	–	रू. 5/– प्रतिदिन
03–	चार पहिया वाहन	–	रू. 10/– प्रतिदिन
04–	चार पहिया वाहन (प्रीमियम पार्किंग स्थल शुल्क)	–	रु. 10/– प्रतिघंटा (न्यूनतम रु. 50/–)

16– वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

17– पार्किंग शुल्क सूची कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावे एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे।

18– निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी।

19– वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी संचालक नियोजित कर सकेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान–पत्र जारी करेगा जो धारण किए रहेंगे।

20– वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किए जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन स्टैण्ड संचालक को वाहन स्टैण्ड का संचालन करना होगा।

21– निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर पर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

22– वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु निविदा फार्म रुपए 100/– नगद,नजारत अनुभाग जिला न्यायालय भोपाल में जमा करने पर इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा, जो दिनांक ....2016 को 02:00 बजे दिन तक पूर्ण रूप से भरकर अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिन सायं 04:00 बजे निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष रजिस्ट्रार कार्यालय में खोली जावेगी और निविदा में बताई गई दरें बोली जाएंगी।

23– जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुए अनुबंध–पत्र निष्पादित करना होगा।

24– ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी एवं उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

25– जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि स्टैण्ड संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए 07 दिन का नोटिस देकर निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टैण्ड का संचालन अविलंब बंद करना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टैण्ड संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा ले। इस सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम और आबद्धकारी होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)